संख्या-4 / 2019 / वे0आ0-2-269 / दस-141(वे0स0) / 2009टी0सी0

प्रेषक,

सरयू प्रसाद मिश्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
वित्त वेतन आयोग,
वित्त विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक : 16 अप्रैल, 2019**

विषय : वित्तीय वर्ष 2019-20 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-65 के अन्तर्गत वेतन आयोग के अन्तर्गत गठित समिति/प्रकोष्ठ हेतु प्राविधानित धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान संख्या-65 लेखाशीर्षक-"2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-105-विशेष जॉच आयोग-03-राज्य आयोग और समितियॉ-0301-वेतन समिति का गठन" के अन्तर्गत प्राविधानित कुल धनराशि रू0 1,85,28,000/- (रूपये एक करोड़ पच्चासी लाख अट्ठाइस हजार मात्र) की धनराशि राज्यपाल महोदय आपके निस्तारण पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त धनराशि का व्यय मदवार फॉट के अनुसार ही किया जायेगा।

2- उक्त धनराशि का व्यय शासन द्वारा शासकीय व्यय में मितव्ययता सम्बन्धी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में जारी निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। धन का आवंटन ही व्यय का अधिकार प्रदान नहीं करता, अत: जहॉ कहीं आवश्यक हो व्यय के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये :-

क्र0 सं0	**मानक मद**	**स्वीकृत धनराशि (लाख रूपये में)**
(1)	**(2)**	**(3)**
1	01- वेतन	80.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

2	03- महँगाई भत्ता	12.00
3	04- यात्रा व्यय	3.00
4	05- स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.50
5	06- अन्य भत्ते	3.00
6	07- मानदेय	5.00
7	08- कार्यालय व्यय	2.00
8	11- लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	2.00
9	12- कार्यालय फर्नीचर और उपकरण	0.10
10	13- टेलीफोन पर व्यय	0.50
11	14- मोटर गाडियों का क्रय	--
12	15- गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	4.00
13	16- व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	5.00
14	18- प्रकाशन	1.00
15	29- अनुरक्षण	2.00
16	42- अन्य व्यय	1.00
17	45- अवकाश यात्रा व्यय	1.00
18	46- कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	3.00
19	47- कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	3.00
20	49- चिकित्सा व्यय	6.00
21	51- वर्दी व्यय	0.06
22	52- पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	11.62
23	55- मकान किराया भत्ता	8.00
24	56- नगर प्रतिकर भत्ता	1.50
25	58- आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	30.00
	योग-	**185.28**

(रूपये एक करोड़ पच्चासी लाख अट्ठाइस हजार मात्र)

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान सं0-65 के लेखाशीर्षक-"2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-105-विशेष जांच आयोग-03-राज्य आयोग और समितियॉ-0301-वेतन समिति का गठन" की उपर्युक्त

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

वर्णित सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नाम डाला जायेगा।

भवदीय,

सरयू प्रसाद मिश्र

विशेष सचिव।

संख्या-4/2019/वे0आ0-2-269(1)/दस-141(वे0स0)/2009टी0सी0तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :----

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

3- कार्यालय उपयोगार्थ।

4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

आर0एल0त्रिपाठी

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।